

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 109/2021

दायर दिनांक: 05.07.2021

उनवान

1. प्रदीप कुमार उम्र 62 वर्ष पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहमण निवासी सकतपुर हाल निवास म.नं. बी-5 चौथ माता मंदिर के पास नगर पालिका कॉलोनी बारां जिला बारां राज०।

वादी

बनाम

1. अशोक कुमार उम्र 65 वर्ष पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहमण निवासी सकतपुर हाल निवास केशवपुरा चौराहा के पास 2ए-1 तलवण्डी कोटा जिला कोटा जिला कोटा राज०।
2. शाखा प्रबन्धक महोदय बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा सकतपुर तहसील अटरू जिला बारां राज०।
3. शाखा प्रबन्धक महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा बारां जिला बारां राज०।
4. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज०

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :-

वादी :- विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

प्रतिवादी :- विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा

निर्णय

दिनांक 30/11/2022

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम सुभाषपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज० में आराजी खाता संख्या 16 का ख०न० 664 का रकबा 5.17 है० तथा ख०न० 676/2013 का रकबा 0.18 है० कुल कित्ता 2 का कुल रकबा 5.35 है० आराजी का इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.05.2022 द्वारा आदेश/प्राथमिक डिक्री जारी कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी अनुसार तहसीलदार अटरू से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया था। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/2623 दिनांक 20.10.2022 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया है जिससे अभिभाषक वादी एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण सहमत है।

अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2022 की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव अनुसार ग्राम सुभाषपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 16 का ख0न0 664 का रकबा 5.17 है0 तथा ख0नं0 676/2013 का रकबा 0.18 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 5.35 है0 आराजी का वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

I- अशोक कुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहमण के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी:-

क्र.सं.	नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	सुभाषपुरा	अशोक कुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहमण सा0 सकतपुर रहन बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सकतपुर	664/2 दक्षिण	2.67 है0	नहरी-1	50.73
			किता 1	2.67 है0		50.73

II- प्रदीप कुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहमण के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी:-

क्र.सं.	नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	सुभाषपुरा	प्रदीप कुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहमण सा0 सकतपुर रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा बारां	664/1 उत्तर	2.49 है0	नहरी-1	47.31
			676/2013	0.18 है0	नहरी-1	3.42
			किता 2	2.67 है0		50.73

III- अशोक कुमार पुत्र बृजमोहन हिस्सा 1/2 जाति ब्राहमण सा. सकतपुर, प्रदीप कुमार पुत्र बृजमोहन हिस्सा 1/2 जाति ब्राहमण सा. सकतपुर के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी:-

क्र.सं.	नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	सुभाषपुरा	अशोक कुमार पुत्र बृजमोहन हिस्सा 1/2, प्रदीप कुमार पुत्र बृजमोहन हिस्सा 1/2 जातिगण ब्राहमण सा. सकतपुर	664/3 पूर्व	0.01 है0	नहरी-1	0.19
			किता 1	0.01 है0		0.19

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाईनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 109/2021

उनवान

1. प्रदीप कुमार उम्र 62 वर्ष पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहमण निवासी सकतपुर हाल निवास म.नं. बी-5 चौथ माता मंदिर के पास नगर पालिका कॉलोनी बारां जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. अशोक कुमार उम्र 65 वर्ष पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहमण निवासी सकतपुर हाल निवास केशवपुरा चौराहा के पास 2ए-1 तलवण्डी कोटा जिला कोटा जिला कोटा राज0।
2. शाखा प्रबन्धक महोदय बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा सकतपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. शाखा प्रबन्धक महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा बारां जिला बारां राज0।
4. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर. टी. एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईर..... रुबरू.....र.....

बहाजिर :-

वादी :- विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

प्रतिवादी :- विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा

मिनजानित मुदई रुबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम सुभाषपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 16 का ख0न0 664 का रकबा 5.17 है0 तथा ख0न0 676/2013 का रकबा 0.18 है0 कुल कित्ता 2 का कुल रकबा 5.35 है0 आराजी का वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

I- अशोक कुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहमण के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी:-

क्र.सं.	नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	सुभाषपुरा	अशोक कुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहमण सा0 सकतपुर रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सकतपुर	664/2 दक्षिण	2.67 है0	नहरी-1	50.73
			कित्ता 1	2.67 है0		50.73

II- प्रदीप कुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहमण के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी:-

क्र.सं.	नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	सुभाषपुरा	प्रदीप कुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहमण सा0 सकतपुर रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा बारां	664 / 1 उत्तर 676 / 2013	2.49 है0 0.18 है0	नहरी-1 नहरी-1	47.31 3.42
			किता 2	2.67 है0		50.73

III- अशोक कुमार पुत्र बृजमोहन हिस्सा 1/2 जाति ब्राहमण सा. सकतपुर, प्रदीप कुमार पुत्र बृजमोहन हिस्सा 1/2 जाति ब्राहमण सा. सकतपुर के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी:-

क्र.सं.	नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	सुभाषपुरा	अशोक कुमार पुत्र बृजमोहन हिस्सा 1/2, प्रदीप कुमार पुत्र बृजमोहन हिस्सा 1/2 जातिगण ब्राहमण सा. सकतपुर	664 / 3 पूर्व	0.01 है0	नहरी-1	0.19
			किता 1	0.01 है0		0.19

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 30.11.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)